



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

No.HB(39)T.B/5.1/Misc./Vol-II/Part-IV/16971-17020

दिनांक:- 14/08/2024

अधिसूचना

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कक्षा नौवीं से बारहवीं के लिये एन0सी0ई0आर0टी0 दिल्ली द्वारा तैयार की गई उर्दू विषय के पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों को यथावत अपनाने के आदेश प्रदान करते हैं।

पाठ्यपुस्तकों का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है:-

Discontinued Textbooks			Prescribed Textbooks		
Sr. No.	Book Code	Book Name	Sr. No.	Book Code	Book Name
Class 9 th & 10 th					
1	910	Urdu Ki Kitab	1	910	Nawa-e-urdu
2	1010	Urdu	2	1010	Nawa-e-urdu
Class 11 th & 12 th					
			1	1128	Gulistan-e-Adab
			2	1232	Gulistan-e-Adab

उपरोक्त के दृष्टिगत कक्षा नौवीं व दसवीं की पुराने स्टॉक की पाठ्यपुस्तकें प्रदेश के विद्यार्थियों को वितरित नहीं की जा सकती हैं।

उर्दू विषय की नई पाठ्यपुस्तकें शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जायेंगी।

डॉ0 (मेजर) विशाल शर्मा (हि0प्र0से0)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
2. निदेशक, शिक्षा (उच्चतर व प्रारम्भिक), शिक्षा निदेशालय, शिमला-1।
3. निजी सहायक अध्यक्ष/सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
5. प्रधानाचार्य, एरा0सी0ई0आर0टी0 सोलन, हिमाचल प्रदेश।
6. अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
7. अनुभाग अधिकारी पुस्तक वितरण/पुस्तक मुद्रण को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह उपरोक्त निर्णय को बोर्ड की आगामी बैठक में संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करें।

डॉ0 (मेजर) विशाल शर्मा (हि0प्र0से0)
सचिव